न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 21 / 2021 / अपील

कैलाश पुत्र कालू जाति जांगिड़ निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

— अपीलांट

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र कालू जाति जांगिड़ निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. राज्य सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. पटवारी पटवार हल्का अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़।
4. सरपंच ग्राम पंचायत अभयपुरा पंचायत समिति पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

—रेस्पोन्डेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 512 दिनांकित 05.02.2018 द्वारा ग्राम पंचायत अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

उपस्थिति—

1. श्री बनवारीलाल वकील अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

निर्णय

दिनांक — 11.09.2023

1. अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि ख0न0 867 रकबा 0.6400 है0, ख0न0 868 रकबा 0.2800 है0, ख0न0 869 रकबा 0.9400 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.8600 है0 है जो ग्राम मांगल पटवार हल्का अभयपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन मे अवस्थित है। अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमियो मे से अपनी बहनों के हक हिस्से की जमीन का अपने पक्ष मे हक त्याग प्रलेख करवाया था जो उप पंजीयक कार्यालय पलसाना मे दिनांक 22.12.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 217 मे पृष्ठ संख्या 161 क्रम संख्या 20173503102965 पर पंजीबद्ध किया गया। जमाबन्दी संवत 2071—2074 मे हिस्सा कैलाश, ओमप्रकाश, शांति देवी, फूल देवी, सीता देवी पिसरान कालू हि.4 हि. 5 / 18 अर्थात प्रत्येक का हिस्सा 1 / 18,1 / 18 के नाम से

मंजूर 867 रकबा 0.6400 हैक्टर [illegible]

खातेदारी थी उसी के अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे थे। हक त्याग में समोचनकर्ती संख्या 1 शांति देवी एवं समोचनवर्ती संख्या 2 मूली देवी ने अपने हक हिस्से की आराजी संपूर्ण को समोचनग्रहिता अपीलांट कैलाश को एवं समोचनकर्ती संख्या 3 सीता देवी ने अपने हक हिस्से की आराजी संपूर्ण को समोचनग्रहिता/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ओमप्रकाश के पक्ष में समोचन किया गया। अपीलांट व रेस्पान्डेन्ट संख्या 1 के द्वारा हक त्याग की फोटोकापी हल्का पटवारी को नामांतकरण करने के लिए दी तो पटवारी ने नामांतकरण संख्या 512 भरकर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करके ग्राम पंचायत से स्वीकार करवाकर हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का 5/18 भर दिया गया जो गलत भरा गया क्योंकि इस भूमि में प्रत्येक का हिस्सा 1/18 था अर्थात शांति देवी का हिस्सा 1/18 मूली देवी का 1/18 व सीता देवी का 1/18 कैलाश हिस्सा 1/18 ओमप्रकाश हिस्सा 1/18 तो इसमें शांति व मूली देवी अपने 1/18,1/18 अर्थात 2/18 हिस्सा का हक त्याग अपीलांट के पक्ष में कर दिया जिससे अपीलांट का हिस्सा 3/18 हो गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा 1/18 व सीता देवी द्वारा अपना 1/18 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा 2/18 हो गया इस प्रकार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 5/18 होता है। हल्का पटवारी ने हक त्याग को ध्यानपूर्वक व सही तरीके से पढ़े बिना ही नामांतकरण भर दिया गया जो गलत भरा गया है। अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अतः नामांतकरण संख्या 512 दिनांक 05.02.2018 जो हक त्याग के विरूद्ध भरा गया है को निरस्त फरमाया जाकर हकत्याग में हुए अंकन के अनुसार नामांतकरण भरे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण व समोचन पत्र दिनांक 22.12.2017 का अवलोकन किया गया जिससें स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 512 व समोचन पत्र दिनांक 22.12.2017 में हिस्सा की भिन्नता है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 512 निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 512 दिनांक 05.02.2018 बतस्दीक ग्राम पंचायत अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः समोचन पत्र दिनांक 22.12.2017 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ